| |
|---|
| दिनांक 11.12.2025 |
| प्रेस विज्ञप्ति 20/2025 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## एसटीएफः फेन्सेडिल कफ सिरप व कोडीन युक्त अन्य दवाओं को नशे के रूप में प्रयोग करने हेतु इनका अवैध भंडारण एवं व्यापार करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11–12–2025 को एसटीएफ उ0प्र0 को फेन्सेडिल कफ सिरप व कोडीन युक्त अन्य दवाओं को नशे के रूप में प्रयोग करने हेतु इनका अवैध भंडारण एवं व्यापार करने वाले 02 अभियुक्तों को जनपद लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–**

1– अभिषेक शर्मा पुत्र बृजमोहन शर्मा निवासी 3/3336 कपिल विहार, शिव मन्दिर के निकट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

2– शुभम शर्मा पुत्र बृजमोहन शर्मा निवासी 3/3336 कपिल बिहार, शिव मन्दिर के निकट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

**बरामदगी–**

1– 02 अदद मोबाईल फोन

2– फर्जी फर्म से संबंधित प्रपत्र कुल 31 वर्क

**गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–**

आलमबाग मवैया रोड पर टेडी पुलिया तिराहे के पास। दिनांक 11–12–2025 समय लगभग 04.20 बजे प्रातः।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश द्वारा फेन्सेडिल कफ सिरप व कोडीन युक्त अन्य दवाओं को नशे के रूप में प्रयोग करने हेतु इनका अवैध भंडारण एवं व्यापार करने के संबंध में थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, कमिश्नरेट लखनऊ में मु0अ0सं0–182/2024 धारा 420/467/468/471/34/120बी/201 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तों की तलाश एवं अभिसूचना संकलन की कार्यवाही श्री लाल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 के पर्यवेक्षण में निरीक्षक अंजनी कुमार पाण्डेय, निरीक्षक आदित्य कुमार सिंह, उ0नि0 मनोज कुमार, मु0आ0 सुनील सिंह, मु0आ0 विनोद सिंह, मु0आ0 गौरव सिंह, मु0आ0 प्रशान्त सिंह, मु0आ0 प्रभाकर पाण्डेय, मु0आ0 रणधीर सिंह, मु0आ0 के0के0त्रिपाठी, मु0आ0 शेरबहादुर की टीम द्वारा की जा रही थी।

इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एबॉट कम्पनी का दिल्ली का सुपर डिस्ट्रीब्यूटर एवं अभियोग में वांछित अभियुक्त अभिषेक शर्मा तथा शुभम् शर्मा उपरोक्त किसी काम से लखनऊ आये हुए है, जो बस अड्डा पर उतरकर हजरतगंज में किसी से मिलने जाने वाले है। इस सूचना पर विश्वास कर स्थानीय पुलिस को साथ लेकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

विस्तृत पूछताछ में अभिषेक शर्मा ने बताया कि वर्ष–2019 से विशाल सिंह एवं विभोर राणा के यहां जी0आर0 ट्रेडिंग दवा की फर्म में काम कर रहा था। शुरू में मैं जी0आर0 ट्रेडिंग में लोडिंग अनलोडिंग का कार्य देखा करता था एवं उससे संबंधित रिकॉर्ड मेंटेन करता था। विभोर और विशाल जी0आर0 ट्रेडिंग में एबॉट कंपनी की अन्य दवाओं के साथ फेन्सेडिल कफ सिरप मंगाते थे एवं फर्जी फर्म के माध्यम से खरीद बिक्री दिखाकर नशे के रूप में प्रयोग करने के लिए तस्करों को सप्लाई करते थे, जो बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भेजते थे। फर्जी बोगस फर्म को बनाने में और उनकी खरीद बिक्री दिखाने में इनका सहयोग सी0ए0 अरुण सिंघल करता था। अरुण सिंघल ने उनके यहां काम करने वाले बिट्टू कुमार व सचिन कुमार के नाम पर सचिन मेडिकोज नाम से एक फर्म सहारनपुर में तथा सचिन मेडिकोज के ही नाम पर दूसरी फर्म भगवानपुर रुड़की में बनाई। यह लोग एबॉट कंपनी से मंगाई हुई फेन्सेडिल कफ सिरप को पहले उत्तराखण्ड एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश की दवा फर्म को कागजों में बेचना दिखाते थे और फिर पुरा माल को बिट्टू कुमार के नाम पर बनी सहारनपुर वाली फर्म सचिन मेडिकोज में खरीद लेना दिखाते थे और फिर फर्जी ई–वे बिल तैयार कर तस्करों को बेच देते थे। वर्ष 2021 में इन लोगों का माल कई जगह पकड़ा गया, जिसमें मालदा पश्चिम बंगाल के मुकदमे में 2022 में विभोर राणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल से छूट कर आने के बाद इन लोगों ने जी0आर0 ट्रेडिंग से काम करना बंद कर दिया। जी0आर0 ट्रेडिंग से काम बंद हो जाने के बाद एबॉट कंपनी के अधिकारियों से मिलीभगत कर विशाल सिंह की फर्म बी0एन0 फर्मास्युटिकल के लाइसेन्स पर सहारनपुर के केयरिंग एंड फारवर्डिंग एजेंट(सीएफए) बन गए जबकि फेन्सेडिल कफ सिरप की तस्करी में छोटा भाई विभोर राणा जेल गया था। सचिन मेडिकोज के नाम से जो फर्म भगवानपुर रुड़की में बनी थी उसका नाम दिसंबर 2023 में बदलकर मारुति मेडिकोज कर दिया। इस दौरान जी0आर0 ट्रेडिंग से काम बंद हो जाने पर अरुण सिंघल उनके यहां से काम छोड़कर चला गया। अरुण सिंघल ने विशाल और विभोर के कहने पर मेरे भाई शुभम शर्मा, बालाजी संजीवनी, मुनेश पुंडीर, विष्णु प्रिया बिट्टू, के नाम पर चरण पादुका

के नाम से तथा अन्य कई बोगस फर्म उनके नौकरों तथा परिचितों के नाम पर बनाई थी। इन् फर्मों से भी फेनसेडिल की फर्जी क्रय विक्रय दिखाया गया। अरुण सिंघल के कंपनी छोड़कर चले जाने के बाद विभोर राणा तथा विशाल सिंह के कहने पर मैं मारुति मेडिकोज का काम देखने लगा। मारुति मेडिकोज को जनवरी 2024 में एबॉट ने उत्तराखंड का सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। उसके सभी बिल पर मैं ही सचिन कुमार के नाम पर साइन करता था तथा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से लेन देन भी मैं ही करता था। इसी दौरान मेरे नाम पर भी दिल्ली में एक फर्म ए0वी0 फार्मास्यूटिकल्स पप्पन यादव के पार्ट्नरशिप में बनवा दी जिसका सारा काम विशाल सिंह एवं विभोर राणा का साथी सौरभ त्यागी और पप्पन यादव देखा करते थे। मैं सिर्फ दो ही बार ए0वी0 फार्मास्यूटिकल्स दिल्ली में गया हूँ। विशाल और विभोर मारुति मेडिकोज में जो भी फेन्सेडिल कफ सिरफ मंगाते थे उसको दीपक राणा जो कि इनके गाँव अम्बेहटा चांद का रहने वाला है एवं अब भगवानपुर, रूडकी में रहने लगा है तथा रुड़की के ही संदीप शर्मा एवं देहरादून का मेघराज एंड संस तथा पार्थ मेडिकोज का पार्थ अरोड़ा आदि अपनी तथा उनके परिचितों के नाम बनी करीब 65 फर्मों की बिक्री कागजों में दिखा दी जाती थी जबकि माल मारुति मेडिकोज पर ही रहता था और फिर उन्हें उन सभी फार्मो से फेन्सेडिल कफ सिरफ की बिक्री लाभ पर मेरे नाम पर बनी ए0वी0 फार्मास्यूटिकल्स को बिल कर दिया जाता था। इसके बाद सौरभ त्यागी के माध्यम से विभोर राणा एवं विशाल उसको आगरा बनारस गोरखपुर कानपुर लखनऊ आदि के माध्यम से फर्जी ई–वे बिल आदि बनाकर उसे मालदा वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा आदि के रास्ते से चोरी से बांग्लादेश के लिये तस्करों को भेज देते थे। अप्रैल 2024 में मारुति मेडिकोज तथा ए0वी0 फार्मास्यूटिकल्स के माध्यम से भेजी गई फेन्सेडिल कफ सिरप जो कि सीतापुर के 02 स्टॉकिस्ट जिसका ड्रग लाइसेंस पूर्व में ही निरस्त हो गया था के नाम पर फर्जी ई–वे बिल आदि बनाकर हम लोगों ने भेजा था परन्तु लखनऊ में एस0टी0एफ0 टीम द्वारा पकड़ लिया गया था। जब मारुति मेडिकोज और ए0वी0 फार्मास्यूटिकल्स के नाम पर नोटिस आने लगी तब विभोर राणा ने सचिन कुमार की बीमारी का फर्जी मेडिकल बनवाकर मुझे मारुति मेडिकोज की तरफ से अधिकृत बयान दर्ज करने के लिए ऑथराइजेशन लेटर बनवाया। दिसंबर 2024 में एबॉट कंपनी ने फेन्सेडिल कफ सिरप बनाना बंद कर दिया और मारुति मेडिकोज और ए0बी0 फार्मास्यूटिकल्स तथा सभी सी0एफ0ए0 से माल वापस लेकर शैली ट्रेडर्स को दे दिया। फिर हम लोगों ने ए0वी0 फार्मास्युटिकल से सौरभ त्यागी के माध्यम से स्कॅफ तथा

ऑनेरेक्स कफ सिरप की तस्करी करने लगे। पिछले महीने दिनांक 11–11–2025 को आप लोगों द्वारा विशाल सिंह, विभोर राणा, सचिन कुमार और बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद से हम दोनों ने अपना नंबर बंद कर लिया तथा अंबाला में छुप कर रह रहे थे।

अभियुक्त शुभम शर्मा ने बताया कि मैं इन्टर तक पढ़ाई किया हूँ और 2017 में दुबई चला गया था। दुबई पोर्ट वर्ल्ड (डीपीडब्ल्यू) में पोर्ट आपरेशनल ऑफिसर के पद पर नौकरी किया। मैं अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था। इसलिए वापस इंडिया आ गया यहां आने पर बड़े भाई अभिषेक के माध्यम से विशाल सिंह एवं विभोर राणा से मुलाकात हुई। इन लोगों ने मुझे बिजनेस करने की बात कही और मुझसे डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि ले लिया तथा मेरे नाम पर श्री बालाजी संजीवनी नाम से एक फर्म बना दी। शुरुआती क्रय विक्रय मारुति मेडिकोज से करायी फिर एबॉट कंपनी का कोड खुलवाकर बी0एन0 फार्मास्यूटिकल से मेरी फर्म को फेन्सेडिल कफ सिरप की खरीद बिक्री दिखाने लगे। यह सारा काम विशाल सिंह तथा विभोर राणा देखते थे और मुझे हर महीने लगभग रूपये 1,00,000/– देते थे। श्री बालाजी संजीवनी में करीब 8 माह तक काम चला था। इस दौरान मुझे करीब 8 लाख मिले। मैं विशाल व विभोर के साथ बतौर ड्राइवर आता जाता था। विभोर राणा पहले अपना माल शुभम जायसवाल को बनारस मे देते थे। बाद में शुभम जायसवाल ने अपने पिता के नाम पर रॉची में एबॉट से सुपर डिस्ट्रीब्यूसनशिप ले ली थी। दोनों अभियुक्तों ने पूछताछ में तस्करी में संलिप्त पश्चिम बंगाल के अपने 2 अन्य सहयोगियों के बारे में जानकारी दी है जिनके बारे में अभिसूचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक और शुभम उपरोक्त के विरुद्ध पूर्व से पंजीकृत मु0अ0सं0–182/2024 धारा 420/467/468/471/34/120बी/201 भा0द0वि0 थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, कमिश्नरेट लखनऊ में दाखिल कर अग्रिम विधिक कार्यवाही एस0टी0एफ0 द्वारा की जाएगी।

**<u>अभियुक्त अभिषेक शर्मा का आपराधिक इतिहास–</u>**

1. मु0अ0सं0 182/24 धारा 420/467/468/471/120बी/34/201 भा0द0वि0 थाना सुशांत गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 691/25 धारा 336(3)/319(2)/318(4)/3(5) बी0एन0एस0 व धारा– 8/22/29/36/60 एन0डी0पी0एस0 थाना नन्दग्राम गाजियाबाद।

**एसटीएफः—अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य 2.131 कि0ग्रा0 अवैध अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 12.50 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार।**

दिनांक 11—12—2025 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्य को मय 2.562 कि0ग्रा0 अवैध अफीम के साथ जनपद लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—**

1— मो0 वसीम जावेद पुत्र स्व0 नसीम निवासी— लाइन मोहल्ला रहमत नगर, थाना— सदर चतरा, जनपद—चतरा, झारखण्ड राज्य।

**बरामदगी—**

1— 2.562 कि0ग्राम0 अफीम अवैध (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 12.50 लाख रूपये )

2— 2760—रू0 नकद

**गिरफ्तारी का स्थान व समय—**

भिठौली तिराहे के पास, थानाक्षेत्र मडियांव, जनपद लखनऊ। समय 11:45, दिनांक 11—12—2025

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के सम्बन्ध में सूचनायें प्राप्त हो रहीं थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों व इकाइयों को अभिसूचना संकलन व कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री दीपक कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 मुख्यालय,लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 11—12—2025 को उ0नि0 हरीष सिंह चौहान के नेतृत्व में मु0आ0 सरताज अहमद, मु0आ0 आलोक रंजन, मु0आ0 सूरज कुमार सिंह, मु0आ0 सुनील यादव, आ0 राम सिंह यादव द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सदस्य को थाना—मडियांव, लखनऊ क्षेत्रान्तर्गत मय 2.562 कि0ग्रा0 अफीम के गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुयी ।

अवैध अफीम के सम्बन्ध में पूछताछ में बताया कि वह चतरा झारखंड का रहने वाला है और झारखंड तैमारा के पास रहने वाले संजू के सम्पर्क में है। वह संजू से

ही अफीम खरीद कर यहां बेचने के लिए लाता है। वह संजू से 02 लाख 35 हजार रुपये प्रति कि0ग्रा0 के हिसाब से माल खरीदकर उसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखण्ड, पंजाब एवं हरियाणा में 5–6 लाख प्रति कि0ग्रा0 के हिसाब से सप्लाई करता है। संजू मुझे अवैध अफीम की खेप तैमारा के पास जंगल में देता है। अवैध अफीम को वह संजू के द्वारा बताई गयी पार्टी को भारत के विभिन्न प्रान्तों यथा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखण्ड, पंजाब एवं हरियाणा में जाकर सप्लाई करता है। इसका पैसा खरीददार पार्टी से वह कैश में लेता है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मडियांव, लखनऊ पर मु0अ0सं0–728/2025 धारा 8/18/60 एन0डी0पी0एस0 अधि0 पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना मडियांव, जनपद लखनऊ द्वारा की जायेगी।

## जनपद बाराबंकी/थाना बड्डूपुर

- **09 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **36 हजार 500 रूपये नगद**
- **02 गैस सिलेण्डर**
- **02 मोटर साइकिल**
- **08 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 11.12.2025 को थाना बड्डूपुर व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम भगौली के पास से 09 अभियुक्तों 1–मो0 शुएब 2–रेहान 3–मो0 आलम 4–सौरव 5–सलमान उर्फ राहुल 6–सन्दीप 7–सलमान 8–मो0 समीर 9–मो0 इमरान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण, 36 हजार 500 रूपये नगद, 02 गैस सिलेण्डर 02 मोटर साइकिल, 08 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना बड्डूपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बड्डूपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास के किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त मो0 शुएब के विरूद्ध जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानों पर सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बड्डूपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1—मो0 शुएब निवासी ग्राम रसौली थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।

2—रेहान निवासी लच्छीपुर बेलहरा थाना मोहम्मदपुरखाला जनपद बाराबंकी।

3—मो0 आलम निवासी सौरंग बेलहर थाना मोहम्मदपुरखाला जनपद बाराबंकी।

4—सौरव निवासी भाटुआमऊ बेलहरा थाना मोहम्मदपुरखाला जनपद बाराबंकी।

5—सलमान उर्फ राहुल निवासी गुलाम मोहम्मदपुर पट्टी थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी।

6—सन्दीप निवासी मोहद्दीपुर तकिया थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर।

7—सलमान निवासी मोहद्दीपुर तकिया थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर।

8—मो0 समीर निवासी ग्राम रसौली थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।

9—मो0 इमरान निवासी ग्राम रसौली थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।

**<u>बरामदगी</u>**

1—चोरी की पीली—सफेद धातु के आभूषण।

2—36 हजार 500 रूपये नगद।

3—02 गैस सिलेण्डर।

4—02 मोटर साइकिल।

5—08 मोबाइल फोन।

6—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

**जनपद शामली/थाना आदर्शमंडी**

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख 11 हजार रूपये नगद**
- **चोरी की 02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 11.12.2025 को थाना आदर्शमंडी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1–अनूज कुमार उर्फ पाण्डे 2–सन्नी उर्फ अरूण कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 01 लाख 11 हजार रूपये नगद, चोरी की 02 मोटर साइकिल बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 10.12.2025 को थाना आदर्शमंडी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना आदर्शमंडी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, मोटर साइकिल चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–अनूज कुमार उर्फ पाण्डे निवासी ग्राम गोहरपुर थाना आदर्शमंडी जनपद शामली।

2–सन्नी उर्फ अरूण कुमार निवासी ग्राम गोहरपुर थाना आदर्शमंडी जनपद शामली।

**बरामदगी**

1–चोरी के 01 लाख 11 हजार रूपये नगद।

2–चोरी की 02 मोटर साइकिल।

- **कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना इन्द्रापुरम (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गाजियाबाद द्वारा थाना इन्द्रापुरम पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/394/411

भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त हरिओम उर्फ जोनी उर्फ हेमन्त को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सुलतानपुर/थाना चाँदा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सुलतानपुर द्वारा थाना चाँदा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/506/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शमशेर को सश्रम आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद उन्नाव/थाना फतेहपुर चौरासी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 21 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना फतेहपुर चौरासी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/354क/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त तेजपाल को 21 वर्ष के सश्रम कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद शामली/थाना कैराना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद शामली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शामली द्वारा थाना कैराना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शुभम को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद मुजफ्फरनगर/थाना जानसठ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना जानसठ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377/506

भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त तेजपाल को 20 वर्ष के कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद औरैया/थाना अजीतमल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना अजीतमल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रामकुमार उर्फ रामू 2–अभियुक्ता को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

| |
|---|
| दिनांक 11.12.2025 |
| प्रेस विज्ञप्ति 21 / 2025 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

**"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत जनपद बहराइच पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को मृत्युदंड तथा 09 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक पर 01-01 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा**

- **"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान।**
- **माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार शर्मा II, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बहराइच द्वारा दोषी अभियुक्तों को दण्डित किया गया।**
- **वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दोषियों को मिली सजा।**

**मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0** के निर्देश पर **पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0** द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** अभियान के अंतर्गत चिन्हित जघन्य अपराधों में मा० न्यायालयों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाए जाने हेतु निरंतर और उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग की जा रही है।

जिसके फलस्वरूप आज दिनांक 11 दिसंबर 2025 को जनपद- बहराइच थाना हरदी क्षेत्र अन्तर्गत महराजगंज में हिंसा से सम्बन्धित 10 अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बहराइच द्वारा 01 अभि0 को मृत्युदण्ड व अन्य 09 अभियुक्तगण को सश्रम आजीवन कारावास से तथा प्रत्येक को 01-01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण**

उल्लेखनीय है कि विगत 13.10.2024 को मां दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान कस्बा महाराजगंज में जुलूस ले जा रहे एक व्यक्ति रामगोपाल मिश्रा पुत्र कैलाश नाथ मिश्रा निवासी ग्राम रेहुवा मंसूर थाना रामगांव जनपद बहराइच उम्र 25 वर्ष की अभियुक्त सरफराज उर्फ रिंकू पुत्र अब्दुल हमीद निवासी कस्बा महाराजगंज के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। उक्त घटना के संबंध में मृतक के भाई श्री हरमिलन मिश्रा द्वारा थाना हरदी पर दी गई लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 369/24 धारा 191(2)/191(3)/190/103(2) BNS बनाम अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल मजीद निवासी कस्बा महाराजगंज आदि 06 नफर दिनांक 13.10.2024 को पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान तात्कालीन विवेचक थानाध्यक्ष कमलशंकर चतुर्वेदी द्वारा धारा 61(2), 249 BNS एवं 3/5/30 शस्त्र अधिनियम व 07 अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता पाए जाने के कारण उनके नाम को प्रकाश में लाकर बढ़ोतरी की गई। विवेचना के उपरांत मुकदमे में 1-अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल मजीद, 2-रिंकू उर्फ सरफराज पुत्र अब्दुल हमीद, 3-फहीम पुत्र अब्दुल हमीद, 4-मोहम्मद जीशान उर्फ राजा उर्फ शाहिर पुत्र मोहम्मद अली 5-ननकू पुत्र नानमून, 6-मारूफ अली पुत्र मेहदी हसन 7-

मोहम्मद तालिब उर्फ बबलू पुत्र अब्दुल हमीद 8-मोहम्मद अफजल उर्फ कल्लू पुत्र मोहम्मद अनवर 9-शकील अहमद उर्फ बबलू पुत्र हाजी मोहम्मद 10-इब्राहिम सैफ अली पुत्र अनवर 11-जावेद पुत्र राशिद खान 12-शोएब पुत्र मुबारक अली एवं 13-खुर्शीद पुत्र हाजी मोहम्मद 13 नफर के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 11-01-2025 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।उक्त सभी 13 अभियुक्तों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(एन0एस0ए0) के तहत प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की गयी थी।

घटना के दौरान पुलिस द्वारा गठित कन्ट्रोल रुम व सर्विलांस की मदद से सी0सी0टी0वी0 फुटेज व अन्य प्रभावशाली एवं त्रुटिरहित साक्ष्यों के साथ विवेचना करने उपरान्त मा0 न्यायालय में साक्ष्यों को प्रस्तुत कर उक्त अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 के द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित कर प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहान को नियत तिथि पर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उनके परीक्षण की प्रक्रिया पूर्ण करायी गयी ।पुलिस व अभियोजन संवर्ग के समन्वय के परिणामास्वरुप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जनपद बहराइच द्वारा आरोप पत्र पर दिनांक-12.02.2025 को संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की गई,मा0 न्या0 द्वारा मुकदमा उपरोक्त के विचारण उपरान्त आज दिनांक-11.12.2025 को कुल 13 अभियुक्तगण में से 03 अभियुक्तगण मोहम्मद अफजल उर्फ कल्लू पुत्र मोहम्मद अनवर, खुशींद पुत्र हाजी मोहम्मद निवासीगण कस्बा महाराजगंज थाना हरदी एवं शकील अहमद उर्फ बबलू पुत्र हाजी मोहम्मद इब्राहिम निवासी चन्द्रपईया थाना हरदी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया जबकि शेष 10 अभियुक्तों को दोषी करार दिया। दोषी सभी 10 अभियुक्त में से मुख्य अभियुक्त सरफराज उर्फ रिंकू पुत्र अब्दुल हमीद निवासी कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच को आज दिनांक 11 दिसंबर 2025 को मृत्युदंड की सजा एवं एक लाख जुर्माना तथा शेष 09 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा तथा एक-एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>**दोषसिद्धि का विवरण-**</u> पुलिस अधीक्षक बहराइच के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार शर्मा-II, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बहराइच द्वारा मॉनिटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, प्रभारी थाना हरदी, ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल श्री प्रमोद कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 दिनकर यादव, हे0का0 रविन्द्र कुमार, थाना पैरोकार का0 रतन वर्मा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 11.12.2025 को दोषी अभियुक्तगण को दण्डित किया गया।

**अभियुक्त का विवरणः-**

1.मो0 सरफाज अहमद उर्फ रिंकू पुत्र अब्दुल हमीद **(मृत्युदंड)**
2.अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल मजीद **(आजीवन कारावास)**
3.मो0तालीब उर्फ सबलु पुत्र अब्दुल हमीद **(आजीवन कारावास)**
4.फहीम पुत्र अब्दुल हमीद **(आजीवन कारावास)**
5.मो0जीशान उर्फ राजा साहिर पुत्र मो0अली **(आजीवन कारावास)**
6.शैफअली पुत्र मरहूम अनवर **(आजीवन कारावास)**
7.जावेद पुत्र जाहिद खान **(आजीवन कारावास)**
8.शोएब खान पुत्र मुबारक खान **(आजीवन कारावास)**
9.ननकऊ पुत्र नानमून **(आजीवन कारावास)**
10.मारुफ अली पुत्र मेंहदी **(आजीवन कारावास)**

दोषसिद्ध अभियुक्त को- उपरोक्त सजा के अतिरिक्त प्रत्येक को 01-01 लाख के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।